न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–82/2019
वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–22.07.2019

उनवान

हनुमान दत्तक पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक

वादी

बनाम

1.ललता पुत्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
2 हंसा उर्फ मोती पुत्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
3.सीता पत्नि राम्स्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
4.राधेश्याम पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
5.तहसीलदार, पीपलू
6.बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, पीपलू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी– श्री एन.के. शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री घीसालाल सैनी

निर्णय दिनांक-- 28.08.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 236 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 25/2 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 218/1245 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 218/3 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1290/218 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा व खाता संख्या 237 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 627 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 629 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा ख0न0 630

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 675 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा व खाता संख्या 356 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 676 रकबा 03 बिस्वा गै0मु0 चाह वाकै ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमें वादी दत्तक पुत्र की हैसियत से प्रतिवादीगण 01 ता 03 के हिस्से में 1/4 हिस्से पर उपरोक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी जब 6–7 वर्ष का था तब ही प्रतिवादी न0 1 ता 2 के पिता व प्रतिवादी न0 3 व वादी के दत्तक पिता रामस्वरूप पुत्र धुलीलाल ने वादी को गोद ले लिया था। तब से ही वादी प्रतिवादीगण 1 ता 3 के साथ रह रहा हैं व अपने दत्तक पिता रामस्वरूप की चल व अचल संपत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा वादी का उसके प्राकृतिक पिता रामलाल पुत्र धुलीलाल की चल व अचल संपत्ति में कोई हक व अधिकार शैष नहीं रहा। वादी के दत्तक पिता रामस्वरूप ने वादी को आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व जब वादी की उम्र 6–7 वर्ष की थी वादी के प्राकृतिक माता–पिता से गोद लेकर गोद की रस्म पुरी की गई थी तथा सभी गॉव वालों, रिश्तेदारों व पंच पटेलो की मौजूदगी में नारियल पताशें बॉटकर पगड़ी दस्तुर करवाकर गोद लेने व देने की रस्म पुरी की गई थी तब से ही वादी अपने दत्तक माता–पिता के पास रहता चला आ रहा हैं। लेकिन वादी व वादी के दत्तक पिता ग्रामीण परिवेश में होने के कारण गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। लेकिन वादी गोद पुत्र होने के कारण वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों में वादी के दत्तक पिता रामस्वरूप का ही नाम दर्ज हैं। लेकिन वादी के हक में रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं होने के कारण दत्तक पिता द्वारा छोड़ी गई भूमि में वादी का नाम अंकित नहीं किया गया हैं। जिसका वादी अधिकारी हैं। इस कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादीगण 1 ता 3 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 3 की और से अधिवक्ता श्री घीसालाल सैनी ने वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद डिक्री कर दिया जावें तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादी, प्रतिवादीगण 1 ता 2 के पिता व प्रतिवादी न0 3 के पति रामस्वरूप पुत्र धुलीलाल दत्तक पुत्र हैं जिसको दत्तक पिता रामस्वरूप व प्रतिवादी न0 3 सीता पत्नि रामस्वरूप ने अपने पुत्र नहीं होने के कारण वादी को बाल्यकाल अवस्था में ही गोद ले लिया था तथा गोद

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

की सम्पूर्ण रस्म अदा की गई थी। तब से वादी अपने दत्तक पिता रामस्वरूप व दत्तक माता सीता के साथ रह रहा था तथा वादी के दत्तक पिता की मृत्यु होने पर समस्त क्रियाकर्म वादी द्वारा किये गये थे व पगड़ी दस्तुर भी वादी के किये गये थे व वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम रामस्वरूप ही अंकित हैं। वादी अपने पिता की चल व अचल संपत्ति पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण 1 ता 3 के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने इकबाली जवाब दावा व राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसमें भी प्रतिवादीगण 1 व 2 ने अपने माता–पिता द्वारा व प्रतिवादी न0 3 ने वादी को गोद लेना स्वीकार किया तथा वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत राजीनामा एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजींरो का अवलोकन किया जिसके अनुसार वाद/वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित भूमि खाता संख्या 236 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 25/2 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 218/1245 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 218/3 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1290/218 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा में प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा हैं जिसमें से वादी को 1/4 हिस्सें का व खाता संख्या 237 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 627 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 629 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 630 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 675 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा में प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा हैं जिसमें से वादी को 1/4 हिस्से का व खाता संख्या 356 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 676 रकबा 03 बिस्वा गै0मु0 चाह में प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/16 हिस्सा हैं जिसमें से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी न0 2 का नाम हंसा के स्थान पर हंसा उर्फ मोती किया जावें शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम यथावत रहेगा व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को कायम करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पीपलू